रमेश देवी

8/6

आज यह पत्रावली कैम कोर्ट अदौली में प्रार्थी वादी के अधिपत्र पर पेश हुई। प्रार्थी वादी ने प्रार्थना पत्र पेश किया कि वह अब ने वादपत्र को आगे नहीं चलाना चाहते वाद पत्र को खारिज करना चाहते हैं। वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पत्रावली नस्ती होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे। निर्णय कैम कोर्ट में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
गोटेगांव (नरसिंहपुर)

Scanned by CamScanner